

FORM No. III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत.....मुकाम.....भरतपुर.....
.....चमन सिंह.....बनाम.....मोहन सिंह.....
किस्म मुकदमा.....225.....नं0सन्.....2018.....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.06.2018	<p>अभिभाषक अपीलाण्ट उपस्थित। अभिभाषक अपीलाण्ट ने अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर, एक पक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.08.2015 को, रैस्प0/वादी के पक्ष में अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 03.09.2015 तक का जारी किया गया है। अपीलाण्ट द्वारा हस्तगत अपील के साथ प्रस्तुत नकल छायाप्रति आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त अन्तरिम स्थगन आदेश की अवधि अग्रिम पेशी में नहीं बढ़ाई गई है। अपीलाधीन आदेश स्पष्ट रूप से दिनांक 03.09.2015 तक ही है। अतः दिनांक 03.09.2015 के उपरान्त अपील निष्प्रभावी है। प्रकरण में, अपीलाण्ट के पास समुचित अवसर था कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष, उनके आदेश दिनांक 12.08.2015 के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करवाता। इस अवसर का उपयोग किये बिना, अपील में आना परिहार्य है। वादकरण की बहुलता यथा सम्भव टालने योग्य है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं विधि अनुसार अन्तरिम स्थगन आदेश के विरुद्ध अपील सामान्यतः संधारणीय नहीं है।</p> <p>इसके अतिरिक्त हम यह भी पाते हैं कि अपीलाण्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2015 की अपील दिनांक 01.12.2017 को लगभग दो वर्ष तीन माह के विलम्ब से प्रस्तुत की है, जो मियाद बहार है एवं प्रार्थना पत्र मियाद अंतर्गत धारा 5 में देरी से पेश करने के उचित कारण भी अंकित नहीं किये गये हैं। अतः मियाद के बिन्दु पर भी अपील खारिज योग्य है।</p> <p>अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट संधारणीय नहीं होने के कारण ग्राह्यता स्तर पर ही खारिज की जाती है। साथ ही अधीनस्थ न्यायालय को भी निर्देश दिए जाते हैं कि वह उभयपक्ष को सुन कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का विधि अनुरूप अधिकतम एक माह में निस्तारण करें। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित हों।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 19.06.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(अनिल कुमार वार्ष्णेय) आर0ए0एस0 भू प्रबन्ध अधिकारी भरतपुर</p>	